

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/स्थायीकरण/2019/460

दिनांक: 03.03.2019

--आदेश--

निदेशालय के आदेश संख्या 218 दिनांक 12.08.2016, 220 दिनांक 16.08.2016 एवं 121 दिनांक 08.02.2017 एवं 204 दिनांक 08.05.2017 एवं 274 दिनांक 30.09.2016 एवं 355 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों का फार्मासिस्ट के पद पर चयन कर नियुक्तियाँ प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 के नियम-31 के तहत एतद् द्वारा स्थायी किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफडी/नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में फार्मासिस्ट के पद की पे-मैट्रिक्स L-10 में न्यूनतम वेतन रूपये 33800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	पदस्थापन जिला	कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षा काल पूर्ण करने की दिनांक	2 वर्ष पश्चात् परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1.	हरीशकुमार मण्डोवरा	20.09.1984	चित्तौड़गढ़	03.04.2017	02.04.2019	03.04.2019
2.	दिनेश प्रजापत	01.03.1988	नागौर	05.05.2017	04.05.2019	05.05.2019
3.	प्रवीण कुमार सैनी	05.05.1991	नागौर	17.08.2016	16.08.2018	17.08.2018
4.	अशोक सोलंकी	08.10.1990	नागौर	17.08.2016	16.08.2018	17.08.2018
5.	प्रदीप कुमार नामा	08.07.1989	टोक	22.08.2016	21.08.2018	22.08.2018
6.	मुकेश कुमार सैनी	02.07.1987	टोक	27.02.2017	26.02.2019	27.02.2019
7.	महावीर प्रसाद माली	07.07.1981	टोक	23.02.2017	22.02.2019	23.02.2019
8.	संतोष कुमार गर्ग	15.06.1978	भरतपुर	15.02.2017	14.02.2019	15.02.2019
9.	हेमंत कुमार बैरवा	05.01.1975	झुझुनू	06.04.2017	05.04.2019	06.04.2019
10.	सादिक हुसैन	10.01.1980	बूंदी	31.03.2017	30.03.2019	31.03.2019
11.	देवेन्द्र कुमार शर्मा	30.07.1984	बूंदी	03.04.2017	02.04.2019	03.04.2019
12.	दीपेन्द्र वया	04.01.1990	चित्तौड़गढ़	03.04.2017	02.04.2019	03.04.2019
13.	रामस्वरूप धाकड	11.05.1979	भीलवाड़ा	30.03.2017	29.03.2019	30.03.2019
14.	प्रशांत भटनागर	02.06.1982	अजमेर	10.02.2017	09.02.2019	10.02.2019
15.	प्रवीण कुमारी नागपाल	24.12.1978	श्रीगंगानगर	19.08.2016	18.08.2018	19.08.2018
16.	सरोज बाला	02.02.1989	श्रीगंगानगर	23.08.2016	22.08.2018	23.08.2018
17.	चन्द्रभान	08.04.1983	श्रीगंगानगर	27.02.2017	26.02.2019	27.02.2019
18.	जसकीरत कौर	01.07.1982	श्रीगंगानगर	19.08.2016	18.08.2018	19.08.2018
19.	अमित सेठी	01.08.1985	श्रीगंगानगर	30.03.2017	29.03.2019	30.03.2019
20.	शिल्पा रानी	26.07.1983	श्रीगंगानगर	23.08.2016	22.08.2018	23.08.2018
21.	रमनदीप कौर	22.07.1990	श्रीगंगानगर	22.08.2016	21.08.2018	22.08.2018
22.	राजेश	30.03.1975	डूंगरपुर	09.02.2017	08.02.2019	09.02.2019
23.	अब्दुल माजिद	05.09.1985	डूंगरपुर	16.02.2017	15.02.2019	16.02.2019
24.	आस्था शाह	29.07.1990	डूंगरपुर	27.02.2017	26.02.2019	27.02.2019
25.	अकिल मोहम्मद	07.01.1984	पाली	22.08.2016	21.08.2018	22.08.2018
26.	नन्दकिशोर	12.08.1989	पाली	24.08.2016	23.08.2018	24.08.2018
27.	भीमाराम	26.01.1986	पाली	19.08.2016	18.08.2018	19.08.2018
28.	संजय सिरवी	28.11.1989	पाली	23.08.2016	22.08.2018	23.08.2018
29.	ललित जांगिड	28.10.1985	पाली	05.04.2017	04.04.2019	05.04.2019
30.	जितेन्द्र मारवाल	01.01.1982	पाली	17.02.2017	16.02.2019	17.02.2019
31.	धर्मीचन्द चौधरी	12.04.1985	पाली	02.12.2016	01.12.2018	02.12.2018
32.	कविता दवे	31.05.1987	पाली	19.08.2016	18.08.2018	19.08.2018
33.	महेन्द्र कुमार	15.08.1990	नागौर	10.02.2017	09.02.2019	10.02.2019
34.	ओमप्रकाश छीपा	20.11.1984	भीलवाड़ा	16.06.2017	15.06.2019	16.06.2019
35.	विजय कुमार मीणा	15.07.1984	अलवर	24.08.2016	23.08.2018	24.08.2018
36.	संजय दांतला	10.02.1976	बांसवाड़ा	22.08.2016	05.02.2019	06.02.2019

नोट: क्रम सं० 36 पर अंकित संजय दांतला द्वारा परिवीक्षाकाल में 198 दिवस असाधारण अवकाश पर रहने के कारण नियमानुसार 30 दिवस से अधिक अवधि 168 दिवस परिवीक्षाकाल में वृद्धि की गयी है।

उक्त कार्मिकों का उक्तानुसार वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्तिका में तत्संबंधी इन्द्राज संबंधित कार्यालयध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/स्थायीकरण/2019/400

दिनांक: 03.09.2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक, (ईएसआई योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, मुख्यालय।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जौन।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/निजी पत्रावली।
- ✓ 10. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

पुनारी सर्वर रूम 17.09.19